न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 09/2024 (GCMS 2024/187)

1. **जीत सिंह पुत्र आत्म सिंह** आयु 77 वर्ष निवासी मकान नम्बर 08, गली नम्बर 01, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर
2. **देवेन्द्र कौर पत्नी जीत सिंह** आयु 68 वर्ष निवासी मकान नम्बर 08, गली नम्बर 01, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर

– अपीलांटस

<u>बनाम</u>

अमनदीप कौर पत्नी विनयदीप पुत्री जीत सिंह आयु करीब 45 वर्ष निवासी मकान नम्बर 08, गली नम्बर 1, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर हाल आबाद केयर आफ डाक्टर विश्वनाथ करड़ एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनवसर्टी (विधि संकाय) पूना (महाराष्ट्र) प्रथम वर्ष छात्रा 2024–25 एवं (M/s Amandeep Kaur C/o Pradnya Shinde Floor 3rd, Flat No. 302, Chintai Nivas, Near Ambegaon Road, Opposite – HDFC Bank Datta Nagar Bracnh, Datta Nagar, Katraj, Pune Maharashtra State, Pin Code 411046)

– रेस्पोडेंटस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>09.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जीत सिंह एवं रेस्पोडेंट संख्या अमनदीप कौर उपस्थित हुए थे। रेस्पोडेंट की बहस दिनांक 27.11.2024 को एवं अपीलार्थी की बहस दिनांक 04.12.2024 को सुनी जा चुकी है।

अपीलार्थी श्री जीत सिंह ने कथन किया कि वह आवेदकगण वरिष्ठ नागरिक है व अपनी स्वामित्व के मकान चक 1 ए छोटी, मु.नं. 49 के किला नम्बर 9 के क्षेत्रफल 30 गुणा 50 फीट जो वर्तमान में मकान नम्बर 08 गली नम्बर 01 नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर में है। अप्रार्थी अमनदीप कौर उसकी पुत्री है जिसे उसने शिक्षा, दीक्षा हेतु दिल्ली भेजा गया था। वहा अमनदीप कौर कुसंगती [illegible] उसने विनय सिंह विवाह कर लिया। विनय सिंह से अप्रार्थी की [illegible] गई तो वह उसे छोड़कर, श्रीगंगानगर में निवास [illegible] अपनी पति के [illegible] एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 35/2013 पु[illegible] थाना महिला श्रीगंगानगर में दर्ज करवायी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उसने एक दान पत्र के जरिये अप्रार्थी को 21.00/— लाख रूपये दिनांक 28.07.2021 को जरिये आरटीजीएस प्रदत किया है, जो वर्तमान में एफडीआर के रूप में अप्रार्थी के पास जमा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हम विभिन्न रोगों से ग्रस्त है, अप्रार्थी जबरन उसके मकान में निवासरत है और समय—समय पर उन्हें जान से मारने की धमकी देती है और उनका जीना दुर्भर कर रखा है। सुसाईड कर आवेदकगण को जेल भिजवाने की धमकियां देती है। प्रार्थीगण पर झूठा दोषारोपण करती है जिसक कारण आवेदकगण बुरी तरह से डरे व सहमे हुए है और तनाव में रहने लग गए है जिस कारण उनके रोगों में ओर वृद्धि हो गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा उक्त समस्त तथ्यों का विवेचन किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विवेचन न कर, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनकी पुत्री जो झगडालू किस्म की महिला है जो प्रार्थीगण को किसी न किसी बहाने से परेशान करती रहती है। अपनी माता को जलील करती है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का अप्रार्थी के साथ रहना संभव नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीया, प्रार्थीगण को उनके ही मकान से बाहर निकालना चाहती है जबकि प्रार्थी के द्वारा अपनी आय से उक्त मकान का निर्माण करवाया [illegible] अप्रार्थीया उक्त मकान पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है तथा प्रार्थीगण को घर से बेदखल करना चाहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के बीमार होने पर उसका ईलाज भी प्रार्थीगण द्वारा ही करवाया गया था। प्रार्थीगण ने कई बार

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीया को कहा कि उनके रहने का एक मात्र जरिया उक्त मकान है और कोई रोजगार भी नही है इसलिए हमे तंग परेशान न करें परन्तु अप्रार्थीया नहीं मानती और बार–बार प्रार्थीगण को तंग परेशान करती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के पास वर्तमान में इतनी आय नही है जिससे वह अपना गुजारा कर सके तथा अपनी बीमारी व अन्य सुविधायें प्राप्त सके। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त फरमाया जाकर, प्रार्थीगण के द्वारा दी गई उपहार स्वरूप राशि 21.00/– लाख रूपये अप्रार्थीया से वापित दिलाने व अप्रार्थीया को मकान से बेदखल करने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

इसके अप्रार्थी अमनदीप कौर ने अपने लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उसके पिता ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे एवं भ्रामक है, जिन्हें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने खारिज कर दिया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि मेरी चिकित्सा व्यय, स्वास्थ्य स्थिति और वित्तिय स्थिति पर विचार किए बिना, प्रार्थीगण का मेरे बचे हुए पैसे पर कब्जा करके मुझे बेसहारा बनाना था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने एक पिता के रूप में अपनी बेटी को सहारा देने के बजाय उस पर झूठे आरोपों और अपमानजनक बयानों के साथ यह अपील पेश की है। प्रार्थीगण द्वारा झूठी कहानियां गढ़ी गई है, जिसके बारे में उसके लिए सोचना भी शर्म की बात हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अपनी बेटी को वित्तीय सहायता देने से बचने के लिए इस तरह से कैसे गिर सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपने माता पिता के साथ घर में छोटे से प्रवास के दौरान (मार्च 202[illegible] से जुलाई 2024 के दौरान) मुझे मेरी ही माता पिता और उनके दोस्तों द्वारा परेशान किया गया। उन्होंने मुझे

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धमकाने के लिए और घर खाली करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों लगाया है, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन, श्रीगंगानगर में न्याय की मांग करनी पड़ी।

उनका आगे यह भी कथन है कि मैं जब उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पुणे से श्रीगंगानगर आई तो मुझे मेरे माता–पिता द्वारा गालियां दी गई और मुझे घर में नहीं आने दिया। उनके द्वारा मेरा सामान जबरन ले लिया और घर के अंदर बंद कर दिया और घर से चले गये।

उनका आगे यह भी कथन है कि उसके पिता ने अपनी आय कम होना बताया है जबकि उसके पिता एक वरिष्ठ सेवानिवृत, एस.ई.,पी.एच.ई.डी. विभाग के कर्मचारी है। प्रार्थीगण के अनुसार नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर में 8 कमरों वाली एक बहुत बड़ी दो मंजिला हवेली है, जिसका उल्लेख पते में किया गया है। **इस घर के अलावा उनके पास निम्नलिखित सम्पत्तियाँ भी है :**

1. आवासीय मकान नं. 08, लेन प्रथम, सुखाड़िया सर्किल, श्रीगंगानगर
2. मेरे भाई श्री अभय(बीमारी के कारण मृत्यु हो गई) द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति दुकान नं. 2, प्रथम तल, योग दिव्य मंदिर, सुखाड़िया सर्किल, एस.डी. बिहाणी सी.सै. स्कूल के सामने, श्रीगंगानगर
3. दो कमरों का फार्म हाउस और प्लॉट नं. के–22, मॉडल टाउन, श्रीगंगानगर
4. कृषि भूमि सम्पत्ति, जो वर्तमान में लीज पर दी जाती है जिससे भी 4–5 लाख रूपये प्राप्त होते है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के पास लाखों रूपये की फिक्स डिपोजिट है और उनके द्वारा वर्ष 2024 में नई कार भी खरीद की है। यह जानकारी और विवरण मेरे द्वारा स्पष्ट करने के लिए अंकित किये गये है कि मेरे माता–पिता के पास धन की कमी या किसी प्रकार वित्तीय बाधा नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि मेरे माता–पिता मुझे बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों कर रहे है और मुझे अस्वीकार करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे है जबकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और स्टेज 3 के कैंसर और अन्य संबंधित बीमारियों जैसी गंभीर चिकित्सा स्थिति में पीड़ित हूँ। एक लड़की होने के नाते परिवार के विशेषाधिकारों से वंचित किया जा रहा है और मैं अपने माता पिता हाथों घोर अन्याय का शिकार हो रही हूँ।

उनका आगे यह भी कथन है कि बीस लाख रूपये की राशि मुझे वर्ष 2021 में उपहार दी गई थी, जिसे मेरे बैंक खाते में एक आवासीय फ्लैट खरीदने के लिए स्थानांतरित किया गया था, जब मैं अपने पति के साथ पुणे में रह रही थी। हालांकि इस राशि का उपयोग मेरे चिकित्सा उपचार, दवाओं और आवधिक परीक्षणों के लिए किया जाना था। आज की तारीख में यह राशि आय का एकमात्र स्त्रोत है और मेरी चिकित्सा आपात स्थितियों और दैनिक जरूरतों लिए लिए उपयोग की जा रही है। मेरें पास इस राशि के अतिरिक्त मेरे पास जीवित रहने का अन्य कोई वैकल्पिक स्त्रोत नहीं है। मेरें पिता द्वारा सभी आरोप झूठे है और उनके वकील द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लगाए गए है। इसलिए प्रार्थीगण की अपील खारिज योग्य है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 31.07.2024 को निर्णय पारित कर निम्न आदेश दिया गया था:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अनावदेकगण को आवेदिका के मकान स्थित मकान चक 1 ए छोटी मुरब्बा नम्बर 49, किला नम्बर 9 के क्षेत्रफल 30 गुणा 50 फीट जो वर्तमान में मकान नम्बर 08, गली नम्बर —1, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर से बेदखल किये जाने एवं आवदेकगण द्वारा अनावेदिका को जरिये दान पत्र राशि 21.00/— लाख रूपये दिनांकित 28.07.2021 को जरिये आरटीजीएस प्रदत्त की है, जिसे निरस्त फरमाया जाकर उक्त राशि आवेदकगण को वापिस दिलवायी जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। अतः माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रथम अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण एवं अप्रार्थीया के चिकित्सकीय/स्वास्थ्यगत हालात के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अप्रार्थीया, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थीगण को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः आदेश की प्रति तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर तथा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की एक—एक प्रति प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी को भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(जीतू कुलहरी RAS)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 31.07.2024 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

जहां तक मकान चक 1 ए छोटी मुरब्बा नम्बर 49, किला नम्बर 9 के क्षेत्रफल 30 गुणा 50 फीट जो वर्तमान में मकान नम्बर 08, गली नम्बर —1, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर का प्रश्न है। जिसे प्रार्थीगण ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थी को उक्त मकान से बेदखल करवाने की मांग की है। माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2(ख) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

चूंकि अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में रेस्पोडेंट अमनदीप कौर को मकान नम्बर 8, गली नम्बर 01, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर से बेदखल करने एवं 21.00/— लाख रूपये की राशि उपहार में दी गई थी को प्रार्थीगण को वापिस दिलाये जाने की प्रार्थना की है। माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **23 कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा:—**
> (1) .....
> (2) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक के सम्पत्ति से भरण—पोषण को प्राप्त करने का अधिकार है वैसी सम्पत्ति या उसका भाग अन्तरित किया जाता है, भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अन्तरिती के विरूद्ध प्रवर्तित कराया जा सकेगा, यदि अन्तरिती को अधिकार का ज्ञान था और यदि अन्तरण अनुग्रहिक है किन्तु प्रतिफल हेतु अन्तरिती के विरूद्ध और अधिकार का ज्ञान के बिना प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(2) के अनुसार जहां वरिष्ठ नागरिक द्वारा कोई सम्पत्ति भरण पोषण प्राप्त करने की शर्त के अधीन दी गई हो तो ऐसा अन्तरण **भरण पोषण न करने की सूरत में ही शून्य हो सकता है। परन्तु इस मामले में ऐसा कोई अन्तरण नही है। इसलिए इस अधिनियम के तहत रेस्पोडेंट की बेदखली पर विचार नहीं हो सकता।** अपीलार्थी, रेस्पोंडेंट को उक्त मकान नम्बर 8, गली नम्बर 01, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर से बेदखल करवाना चाहता है **इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जा सकता।** अपीलार्थी **उक्त सम्पत्ति के विवाद हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थीगण **भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपनी पुत्री अमनदीप कौर से भरण पोषण का** हकदार **है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :**

> **4. माता–पिता और वरिष्ठ** नागरिको **का भरण पोषण–**
>
> (1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–
>
> (i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।
>
> (ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट [illegible] ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।
>
> (2) वरिष्ठ नागरिकों [illegible] करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से **स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** किन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2024 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अपने मकान से बेदखल करने एवं अप्रार्थी को उपहार स्वरूप दी गई 21.00 लाख रूपये की राशि प्रार्थीगण को दिलाये जाने की प्रार्थना [illegible] प्रार्थी जीत सिंह स्वयं राज्य सेवा से सेवानिवृत है, जिन्हें राज्य सरकार [illegible] नियमानुसार पेंशन प्राप्त हो रही है इसलिए **अपीलार्थी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत किसी प्रकार के अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।** **फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थीगण को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 31.07.2024 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:28 IST
Reason: SelfAttested